शीर्ष प्राथमिकता/अनुस्मारक–2

संख्या 22 /xxvii(7)/2006

प्रेषक,

टी0एन0सिंह,
अपर सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)–07 देहरादून:दिनांक 07 फरवरी,2006

विषय– वेतन विसंगति समिति के विचारार्थ प्रकरण प्रेषित करने हेतु अनुस्मारक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वि0वि0 के पत्र सख्या 183/ xxvii(3) वे0वि0स0/2005 दिनांक 24 अगस्त,2005 एवं अनुस्मारक–1 पत्र संख्या:408/xxvii(3)वे0वि0स0/2005 दिनांक: 09 सितम्बर,2005,जिनकी प्रति संलग्न है, के द्वारा प्रशासनिक विभागों से वेतन विसंगति के प्रकरणों में निर्धारित प्रारूप पर समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रति समस्त साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में अब तक मात्र पशुपालन विभाग एवं डेरी तथा मत्स्य विभाग के 1–1 प्रकरण के अलावा किसी भी अन्य विभाग से निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्ताव वि0वि0 को प्रेषित नहीं किया गया है।

2.अतः इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के महत्व को समझकर, यदि आपके विभाग (पशुपालन विभाग एवं डेरी तथा मत्स्य विभाग को छोड़कर) में इस प्रकार के प्रकरण लम्बित हों, तो एक सप्ताह के अन्दर व्यक्तिगत रूचि लेकर वित्त विभाग को निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित सूचनाओं की प्रमाणित प्रति के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि समिति की आगामी होने वाली बैठक में प्रकरणों को रखा जा सके ।

संलग्नःयथोपरि ।

भवदीय

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

अनुस्मारक–1

संख्या-408 / xxvii(3)वे.वि.स. / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 09 सितम्बर,2005

विषय:–वेतन विसंगति समिति के विचारार्थ प्रकरण प्रेषित करने हेतु अनुस्मारक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वि0वि0 के पत्र संख्या 183 / xxvii (3) वे0 वि0स0 / 2005 दिनांक 24 अगस्त,2005, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है, के द्वारा प्रशासनिक विभागों से वेतन विसंगति के प्रकरणों में निर्धारित प्रारूप पर समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रति समस्त साक्ष्यों के साथ 15 दिन के अन्दर प्रेषित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में अब तक किसी भी विभाग से निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्ताव वि0वि0 को प्रेषित नहीं किया गया है ।

2.अतः इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के महत्व को समझकर,यदि आपके विभाग में इस प्रकार के प्रकरण लम्बित हों, तो एक सप्ताह के अन्दर व्यक्तिगत रूचि लेकर वित्त विभाग को निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित सूचनाओं की प्रमाणित प्रति के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि ।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या 183/xxvii(3)वे.वि.स./2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 24 अगस्त,2005

विषयः– उत्तरांचल राज्य में विभिन्न विभागों में वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु गठित विसंगति समिति का विसंगति के प्रकरणों में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलबध कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में समिति की बैठक में यह पाया गया है कि वेतन विसंगति के प्रकरणों में विचार विमर्श हेतु प्रशासनिक विभागों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनायें प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण समिति के द्वारा कोई निर्णय ले सकना संभव नहीं है ।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक विभाग के किसी भी पद की वेतन विसंगति के प्रकरणों में निम्नलिखित प्रारूप में आवश्यक सूचनाओं की प्रमाणित प्रति समस्त साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के अन्दर वेतन विसंगति समिति के विचारार्थ अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें:–

क्र. सं.	विसंगति के पद का नाम	पद का दिनांक 1–1–96 से लागू वेतन मान	पद का दि01–1–86 से लागू वेतन मान	क्या पूर्ववर्ती उ0प्र0 में विसंगति का प्रत्यावेदन दिया गया था हॉ/ना	यदि हॉ तो प्रत्यावेदन तथा समिति के निर्णय की प्रति संलग्न की जाय	विसंगति का आधार केन्द्र से समानता या पुर्नगठन अधिनियम की धारा–74 के तहत अलाभकारी स्थिति है	राज्य बनने के बाद विसंगति का अन्य आधार	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,